राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2892/2024

इमरता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2024

आदेश की दिनांक : 19.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप केन्द्र हरिपुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथीदेय ब्लॉक अजीतगढ, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थी दिव्यांग है और वह दिव्यांग कोटे से नियुक्त हुई है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग

है। प्रारंभ में अपीलार्थी को जोधपुर जिले में पदस्थापित किया गया और उसके उपरांत वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया, जो उसके निज निवास से 110 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी दिव्यांग महिला है और अपीलार्थी के नजदीकी स्थान पर कई रिक्त पद हैं, जिनका अपीलार्थी ने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2024 को उसकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये निस्तारित किया जावे और उसे नजदीकी किसी एक रिक्त स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एएनएम के पद पर उप केन्द्र हरिपुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथीदेय ब्लॉक अजीतगढ, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उसके अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थी दिव्यांग है और वह दिव्यांग कोटे से नियुक्त हुई है। अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 10.05.2024 को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के

परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष